न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08/2025 **दायर दिनांकः 22.01.2025**

उनवान

1. अब्दुल हफिज आयु 53 वर्ष पुत्र ख्वाजू भाई जाति मुसलमान निवासी बडौरा तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 14.05.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू में खाता सं 18 के खसरा नं 1095/1730 का रकबा 0.04 हे०, खसरा नं 1109 का रकबा 0.14 हे०, खसरा नं 1110 का रकबा 0.83 हे0 कुल किता 3 का रकबा 1.01 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई के स्थान पर अब्दुलहकीम पुत्र ख्वाजू भाई अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई है जो कि उसके आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में भी अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत आटोन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर

अपना नाम अब्दुलहकीम पुत्र ख्वाजू के स्थान पर अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई है जमाबंन्दी में अब्दुलहकीम पुत्र ख्वाजू कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं करपा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल आटोन पटवार हल्का आटोन तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू में खाता से 18 के खसरा 1095/1730 का रकबा 0.04 हे०, खसरा नं 1109 का रकबा 0.14 हे०, खसरा नं 1110 का रकबा 0.83 हे० कुल किता 3 का रकबा 1.01 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थी का नाम अब्दुल हफिज पुत्र ख्वाजू भाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1176 दिनांक 28.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 18, ग्राम पंचायत आटोन प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत बडौरा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 18 के ख0 नं. 1095/1730 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1109 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 1110 का रकबा 0.83 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.01 हैक्टर आराजी में सहखातेदार अब्दुल हकीम पुत्र ख्वाजू के स्थान पर अब्दुल हफिज उर्फ अब्दुल

हकीम पुत्र ख्वाजू भाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन में खाता संख्या 18 के ख0 नं. 1095/1730 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1109 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 1110 का रकबा 0.83 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.01 हैक्टर आराजी में सहखातेदार अब्दुल हकीम पुत्र ख्वाजू के स्थान पर अब्दुल हफिज उर्फ अब्दुल हकीम पुत्र ख्वाजू भाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां